न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या–216/2024

जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या– 2024/263

प्रार्थी

प्रोटियम फाईनेन्स लिमिटेड एन के पी बी6 द्वितीय तल पहाडी विपेज, ऑफ वेसटर्न एक्सप्रेस हाईवे कामा ईन्डस्ट्रीयल स्टेट, गोरगांव (वेस्ट) मुम्बई 400063 तथा प्रथम तल प्लाट नं. 3 चर्च रोड, मुन्द्रा भवन जयपुर 202006 जरिये प्राधिकृत अधिकारी आदेश भारद्धाज।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. आशापुरी ट्रेडिंग कम्पनी वास्ते प्रोपराईटर जितेन्द्र तापड़िया, पता–मैन बाजार, जम्बेश्वर चौक, श्रीबालाजी पंचायत समिति नागौर, नागौर 341001
2. जितेन्द्र तापड़िया
3. ममता तापडिया

निवासीगण–5, शिव रतन, जगदम्बा चौंक श्री बालाजी पंचायत समिति नागौर, नागौर 341001

आदेश **दिनांक:** 11/11/2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी की से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर, वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी को जरिये **रूपये 30,00,000/–(अक्षरे तीस लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 30.10.2022** को उपलब्ध करवायी गयी। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति–पट्टा नं. 4, बुक नं. 17, ग्राम श्रीबालाजी, ग्राम पंचायत श्रीबालाजी, पंचायत समिति नागौर, नागौर 341001, क्षेत्रफल 196.44 वर्गगज है। जिसकी चर्तुसीमाएं निम्न प्रकार है– पूर्व में कामन गली व निकास, पश्चिम में गमेतीदेवी तापडिया का मकान, उत्तर में राठियो की जमीन एवं दक्षिण में गमेतीदेवी तापडिया का मकान स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 02.05.2024 को एन.पी.ए.** घोषित कर दिया गया व उक्त ऋण के संबंध मे अप्रार्थी/ऋणी में कुल **रूपये 26,55,178.78/–(अक्षरे छब्बीस लाख पचपन हजार एक सौ अठहतर रूपये एवं अठहतर पैसे मात्र) दिनांक 07.05.2024 तक शेष देय है एवं इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस **दिनांक 10.05.2024** प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एवं दो अखबारों में नोटिस स्याहा करवाये जाने के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि में **रूपये 26,55,178.78/–(अक्षरे छब्बीस लाख पचपन हजार एक सौ अठहतर रूपये एवं अठहतर पैसे मात्र) दिनांक 07.05.2024 तक शेष देय है एवं इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय जिला ... नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण **सम्पति-पट्टा नं. 4, बुक नं. 17, ग्राम श्रीबालाजी, ग्राम पंचायत श्रीबालाजी, पंचायत समिति नागौर, नागौर 341001, क्षेत्रफल 196.44 वर्गगज है। जिसकी चर्तुसीमाएं निम्न प्रकार है- पूर्व में कामन गली व निकास, पश्चिम में गमेतीदेवी तापडिया का मकान, उत्तर में राठियो की जमीन एवं दक्षिण में गमेतीदेवी तापडिया का मकान स्थित है,** जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से **रूपये 30,00,000/-(अक्षरे तीस लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 30.10.2022** प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति-पट्टा नं. 4, बुक नं. 17, ग्राम श्रीबालाजी, ग्राम पंचायत श्रीबालाजी, पंचायत समिति नागौर, नागौर 341001, क्षेत्रफल 196.44 वर्गगज है। जिसकी चर्तुसीमाएं निम्न प्रकार है- पूर्व में कामन गली व निकास, पश्चिम में गमेतीदेवी तापडिया का मकान, उत्तर में राठियो की जमीन एवं दक्षिण में गमेतीदेवी तापडिया का मकान स्थित है,** जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट,

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर।

न्यायालय ... नागौर (राज.)